

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प .3(ई) (

)/अलेसे || लिंक न . 9797 / 520

दिनांक :- २७-८-२१

श्री/श्रीमती/सुश्री विजय अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय,  
कार्यालय - जिला एवं सैशन न्यायाधीश, विधि विभाग, मेहता, नागौर।

विषय:- अधिकारीय अध्ययन की स्वीकृति

मंदर्भ:- शासकीय आवेदन पत्र दिनांक 07/08/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से वर्ष 2021 में एम कॉम (प्रीवियस) की परीक्षा में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं आपके नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन सम्मिलित होने की अनुमति / स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

१. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त भानी जायेगी।

२. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

३. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग - अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

४. विभाग की दूरीनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विश्वविद्यालय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

५. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

६. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल गयेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

७. अध्ययन जारी रखने से दैतिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

८. अध्यात्म नर्पती उपनिषदि का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

९. परीक्षा वीं तौर पर हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

१०. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश मेहता)

निदेशक

क्रमांक :- प .3(ई) (

)/अलेसे || लिंक न . 9797 / 520

दिनांक :- २७-८-२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, विधि विभाग, मेहता, नागौर।

२. निजी विधिय, निदेशक।

उपनिदेशक (पर्सीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(भवानी सिंह मीठा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक) ||